प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर</u>

एकल पीठ : माननीय श्री मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

<u>रिट याचिका (एस) क्रमांक 138/2005</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> **लाल मोहम्मद**

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> **मध्य प्रदेश राज्य तथा एक अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश</u>

(हेतु दिनांक 18.08.2010 को सूचीबद्ध करें)

सही/-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

<u>उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर</u>

एकल पीठ : माननीय श्री मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

<u>रिट याचिका (एस) क्रमांक 138/2005</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> **लाल मोहम्मद**

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> **मध्य प्रदेश राज्य तथा एक अन्य**

उपस्थिति:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता द्वारा श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता ।

राज्य द्वारा श्री भास्कर पायसी, पैनल अधिवक्ता ।

<u>आदेश</u>

(18.08.2010 को पारित)

1. इस याचिका के द्वारा याचिकाकर्ता ने 17 फरवरी, 1989 के आदेश (अनुलग्नक ए-7) की वैधानिकता और वैधता पर सवाल उठाया है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ता पर संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने और अगले पांच वर्षों के लिए पदोन्नति रोकने का शास्ति लगाया गया है।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि जब याचिकाकर्ता रेंजर के पद पर कार्यरत था, तब दिनांक 27.4.1981 (अनुलग्नक ए-1) को आरोप पत्र जारी करके विभागीय जाँच शुरू की गई थी। उसमें लगाए गए आरोप 26.12.1977 से 6.10.1978 के बीच की अवधि से संबंधित थे । दिनांक 4.12.1981 को याचिकाकर्ता ने आरोपों से इनकार करते हुए अपना जवाब

(अनुलग्नक ए-2) प्रस्तुत किया। दुर्ग वृत्त के वन संरक्षक श्री आर.एल. अवस्थी को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने जाँच की, अभियोजन के साथ-साथ बचाव पक्ष के कई गवाहों की परीक्षण की और अंततः दिनांक 24.9.1982 को एक जाँच प्रतिवेदन अनुलग्नक ए - 3 प्रस्तुत की गई। उक्त प्रतिवेदन में, जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए और याचिकाकर्ता को आरोपों से मुक्त कर दिया गया।

3. याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह है कि चार साल तक विभागीय जांच में कोई और आदेश पारित नहीं किया गया । फिर याचिकाकर्ता को दिनांक 20.11.1986 (अनुलग्नक ए-4) को एक टेलीग्राम मिला, जिसमें उसे विभागीय जांच के लिए दिनांक 3.12.1986 को वनमंडल अधिकारी, राजनांदगांव के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। टेलीग्राम प्राप्त होने के बाद, याचिकाकर्ता 3 दिसंबर को प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, जिसमें उसका बयान दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता को नए जांच अधिकारी ने सूचित किया कि वह उसी मामले की जांच कर रहा है जिसके संबंध में जांच प्रतिवेदन पहले दिनांक 24.9.1982 को प्रस्तुत की गई थी। 3, 4 और 5 दिसंबर, 1986 का परीक्षण किया गया और याचिकाकर्ता को बिना किसी तैयारी और विधिक सहायता के उन गवाहों से प्रति परीक्षण करने के लिए मजबूर किया गया। जांच अधिकारी ने इस तरह याचिकाकर्ता के खिलाफ नए सिरे से एकत्र किए गए सबूतों का खंडन करने के लिए बचाव में अपने स्वयं के साक्ष्य पेश करने और अवसर दिए बिना जांच बंद कर दी । दिनांक 6.12.1986 को जाँच बंद कर दी गई। इसके बाद, दिनांक 17.2.1989 (अनुलग्नक ए-7) का आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता पर दीर्घशास्ति लगाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादीगण ने अपने जवाब में कहा है कि दिनांक 24.9.1982 (अनुलग्नक ए-3) की प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन पर राज्य सरकार ने गौर किया और पाया कि उसमें पर्याप्त विवरण नहीं थे, इसलिए राज्य सरकार ने 9 जनवरी, 1985 के अपने आदेश (अनुलग्नक आर-1) के तहत पुनः जाँच करने के लिए वी.के. श्रीवास्तव को जाँच अधिकारी नियुक्त किया। जाँच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को पूरा अवसर दिया और अभियोजन साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिया गया। याचिकाकर्ता ने स्वयं दिनांक 3.12.1986 को प्रस्तुत किया और बयान दिया कि वह जाँच के लिए तैयार है। यह भी कहा गया है कि कोई जाँच प्रतिवेदन तामिल करने योग्य नहीं

थी। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद, सरकार ने उसका अवलोकन किया और लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त करने के बाद, दिनांक 17.2.1989 को आक्षेपित आदेश पारित किया। उत्तरवादीगण ने यह भी तर्क प्रस्तुत हुआ है कि याचिकाकर्ता के पास वैधानिक अपील का विकल्प उपलब्ध था और उक्त अपील विकल्प का सहारा लिए बिना, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया ।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दूसरे दौर की जांच में बाद में तैयार की गई जांच प्रतिवेदन याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी इसलिए, सजा का आक्षेपित आदेश दूषित है। यह भी तर्क दिया गया है कि बिना कोई कारण बताए और पहली जांच प्रतिवेदन पर टिप्पणी किए बिना और पहले जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सबूतों की विवेचना किए बिना, 4 साल बाद जांच को अवैध रूप से फिर से खोल दिया गया। यह भी तर्क दिया गया है कि सुनवाई का निष्पक्ष और उचित अवसर नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन हुआ। यह भी तर्क दिया गया है कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना और जांच प्रतिवेदन की प्रति दिए या प्रस्तुत किए बिना दंड लगाया गया है, जो म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 (जिन्हें आगे "1966 के नियम" कहा जाएगा) के जो म.प्र./छ.ग. नियम 15 मई निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि नए सिरे से जाँच कराने का सरकार का निर्णय दिनांक 24.9.1982 की पहली जाँच प्रतिवेदन से असहमति पर आधारित था और इसलिए, उत्तरवादीगण का कर्त्तव्य कि वे नए सिरे से जांच शुरू करने का कोई भी निर्णय लेने से पहले याचिकाकर्ता को असहमति के कारण बताकर एक अवसर दें। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित का उल्लेख किया उत्तरवादीगण को नए सिरे से जांच शुरू करने का कोई भी निर्णय लेने से पहले असहमति के कारणों को बताकर याचिकाकर्ता को एक अवसर देना चाहिए। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका के पैरा 6 (ii) में किए गए कथनों का हवाला देते हुए दलील दी कि आरोपों से बचाव के लिए याचिकाकर्ता को सम्यक और समुचित अवसर नहीं दिया गया, आक्षेपि तआरोपित आदेश दोषपूर्ण हो गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि विधि के तहत नए सिरे से जांच अनुज्ञेय है और किसी भी मामले में, बिना कोई राय दर्ज किए गवाहों की दोबारा जांच करने का दूसरे जांच अधिकारी का फैसला 1966 के नियम 14(22) में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **<u>प्रबंध निदेशक ई.सी.आई.एल., हैदराबाद एवं अन्य बनाम बी. करुणाकर एवं अन्य</u>**[1]**<u>, पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य बनाम कुंज बिहारी मिश्रा</u>**[2]**<u>, हरियाणा वित्तीय निगम एवं अन्य बनाम कैलाश चंद्र आहूजा</u>**[3] **<u>के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा, उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा</u>**[4]**<u>, भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम रामपाल सिंह</u>**[5]**<u>, अनिरुद्ध द्विवेदी बनाम राज्य मुख्य आयुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड</u>**[6]**<u>, उमा नाथ पांडे एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य</u>**[7]**<u>, कैलाश चंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य</u>**[8]। के मामले मे माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है।

6. दूसरी ओर उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि सरकार द्वारा आगे की जाँच का आदेश देना उचित था क्योंकि यह पाया गया कि पूर्व में प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन अधूरी और त्रुटियों से भरी थी। इसलिए, नए जाँच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किए गए जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को गवाहों से प्रतिपरीक्षण करने का पूरा मौका दिया गया था। यह कहा गया है कि नई जांच प्रतिवेदन में आरोप साबित पाए गए, जिन पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने भरोसा किया और आक्षेपित आदेश सही तरीके से पारित किया गया था, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को वैधानिक अपील प्रस्तुत करने के अपने उपचार का उपयोग करना चाहिए था और उस उपाय का लाभ उठाए बिना, वर्तमान याचिका दायर की गई है, जो केवल इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने जांच के दौरान कोई आपत्ति नहीं जताई और वह किसी भी लाभ का हकदार नहीं है क्योंकि वह पहले दर्ज किए गए अभियोजन पक्ष के गवाहों की फिर से जांच के कारण उसके प्रति हुए किसी भी पूर्वाग्रह को स्थापित करने में विफल रहा है। **<u>ओरिएंटल इंश्योरेंस</u>**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

[1] एआईआर 1994 एससी 1074
[2] एआईआर 1998 एससी 2713
[3] 2008 ए.आई.आर एससीडब्ल्यू 6055
[4] 2010 ए.आई.आर एससीडब्ल्यू 1077
[5] 2010 ए.आई.आर एससीडब्ल्यू 1900
[6] 2009 (2) एम.पी.एल.जे. 166
[7] 2009 ए.आई.आर एससीडब्ल्यू 3200
[8] 2009 (4) एम.पी.एल.जे., 554

कंपनी लिमिटेड बनाम एस. बालाकृष्णन[9] के मामले में सर्वोच्च न्यायलय के फैसले पर निर्भर है।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्चार विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अवलोकन किया है।

8. जहां तक वैधानिक अपील के वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाए बिना वर्तमान याचिका दायर करने के संबंध में आपत्ति का संबंध है, यह ध्यान में रखते हुए कि यह याचिका वर्ष 1989 में अधिकरण के समक्ष दायर की गई थी और तब से लंबित है और इसके अलावा याचिकाकर्ता अब वर्ष 2000 में याचिका के लंबित रहने के दौरान सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है, मैं इस आधार पर याचिका को खारिज करने के लिए इच्छुक नहीं हूं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. याचिकाकर्ता ने दिनांक 17.2.1989 के आक्षेपित आदेश का सबसे पहले इस आधार पर विरोध किया है कि आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले, दूसरी जांच प्रतिवेदन उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई थी और इसलिए, सरोज कुमार सिन्हा (पूर्वोक्त) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के मद्देनजर याचिकाकर्ता ने दिनांक 17.2.1989 के आक्षेपित आदेश पर सबसे पहले इस आधार पर आपत्ति की है कि आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले, दूसरी जांच प्रतिवेदन उन्हें नहीं दी गई थी और इसलिए, सरोज कुमार सिन्हा (पूर्वोक्त), बी. करुणाकर (पूर्वोक्त), उमानाथ पांडे (पूर्वोक्त) और हरियाणा वित्तीय निगम (पूर्वोक्त) के मामलों में सर्वोच्च न्यायलय द्वारा निर्धारित विधि के मद्देनजर, आक्षेपित आदेश केवल उनके आधार पर रद्द किए जाने योग्य है

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान मामले में सजा का आक्षेपित आदेश दिनांक 17.2.1989 को पारित किया गया था, यानी **भारत संघ एवं अन्य बनाम मोहम्मद रमजान खान** [10] के मामले में सर्वोच्च न्यायलय के फैसले से पहले। **मोहम्मद रमजान खान** का मामला (पूर्वोक्त) सर्वोच्च न्यायलय द्वारा 20 नवंबर, 1990 के फैसले के द्वारा निर्णीत किया गया था। बी करुणाकर (पूर्वोक्त) के

[9] (2003) 11 एस.सी.सी 734
[10] ए.आई.आर 1991 एस.सी 971: (1991) 1 एस.सी.सी 588

मामले में सर्वोच्च न्यायलय ने माना कि आपचारी जांच अधिकारी की प्रतिवेदन की एक प्रति पाने का हकदार है। चूंकि **मोहम्मद रमजान खान** (पूर्वोक्त) के फैसले में निर्धारित विधि 20 नवंबर, 1990 से लागू है और **मोहम्मद रमजान खान** के मामले में फैसले से पहले जांच अधिकारी की प्रतिवेदन पेश किए बिना सजा के आदेश पारित किए गए थे, इसलिए जांच प्रतिवेदन पेश न करने के उक्त आधार पर चुनौती देना ग्राह्य नहीं होगा। अतः याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क अस्वीकार किया जाता है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क कि नए सिरे से जाँच का आदेश देने से पहले, उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता को पिछली जाँच प्रतिवेदन से असहमति के कारण बताने चाहिए थे और नए सिरे से जाँच करने का निर्णय लेने से पहले याचिकाकर्ता का उत्तर प्राप्त करना चाहिए था, इस कारण से खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान में ऐसा कोई मामला नहीं है जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ने पिछली जाँच प्रतिवेदन से असहमत होने के बाद याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की हो। वर्तमान में मामले में उत्तरवादीगण ने जो किया है वह यह है कि पहले की प्रतिवेदन को अधूरा और गलतियाँ युक्त पाते हुए आगे की जाँच करने का निर्णय लिया है। इसके बाद, एक और जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई, जिस पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने विचार किया। दिनांक 17.2.1989 के आक्षेपित आदेश से, यह परिलक्षित होता है कि दूसरी जाँच प्रतिवेदन में याचिकाकर्ता को आरोपों का दोषी पाया गया, जिसे शास्ति लगाने का आधार बनाया गया था। यह ऐसा मामला नहीं है कि अनुशासनिक प्राधिकारी जाँच प्रतिवेदन में निहित निष्कर्षों से असहमत थे, अपने निष्कर्ष पर पहुँचे और दंड का आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े। इस मामले के दृष्टिकोण से, कुंज बिहारी मिश्रा (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायलय के फैसले का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. याचिकाकर्ता को आरोप पत्र जारी करने के बाद, जाँच की गई और शुरू में एक जाँच प्रतिवेदन तैयार की गई और दिनांक 24.9.1982 को प्रस्तुत की गई। उक्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि जाँच अधिकारी ने विस्तृत जाँच की, अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ-साथ बचाव पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए और अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विस्तृत और सावधानीपूर्वक जाँच और संयोजन के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप नहीं बनते हैं। उक्त जाँच प्रतिवेदन 55 पृष्ठों का है।

मामला 4 साल तक बिना किसी और निर्णय के पड़ा रहा। 9 जनवरी, 1985 के आदेश (अनुलग्नक आर-1) के अवलोकन से पता चलता है कि उत्तरवादीगण ने 1966 के नियम 15(1) के तहत अपने अधिकार का इस आधार पर आह्वान किया कि पहले की जाँच प्रतिवेदन अधूरी थी और उसमें गलतियाँ थीं। ऐसे अस्पष्ट निष्कर्ष के आधार पर उत्तरवादीगण द्वारस अन्य जांच अधिकारी तथा प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति किया गया जवाब में यह कहा गया है कि जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया और चूँकि इसमें पर्याप्त विवरण नहीं थे, इसलिए सरकार ने नए सिरे से जाँच करने के लिए एक जाँच अधिकारी नियुक्त किया। 9 जनवरी, 1985 के आदेश से पता चलता है कि चूँकि जाँच प्रतिवेदन अधूरी और त्रुटिपूर्ण पाई गई थी, इसलिए एक नए जाँच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति के साथ पुनः जाँच की जा रही है।

12. याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि जब वह टेलीग्राम (अनुलग्नक ए-4) के जरिए जांच अधिकारी के सामने पेश हुआ तो उसे बताया गया कि जांच अधिकारी उसी मामले की जांच कर रहे हैं जो 1982 में खत्म हो चुका था। दरअसल याचिकाकर्ता को कोई नया आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है। 9 जनवरी, 1985 के आदेश (अनुलग्नक आर-1) के अवलोकन से पता चलता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने 1966 के नियम 15(1) के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। पक्षों द्वारा दिए गए कथन और 9 जनवरी, 1985 के आदेश की विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने समान पदों पर नए जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति करके नए सिरे से जांच का निर्देश दिया है। विधि के तहत इस तरह की कार्रवाई अनुज्ञेय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. 1966 के नियमों के नियम 15(1) के अवलोकन से पता चलता है कि एक बार जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने पर, अनुशासन प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, मामले को आगे की जाँच और प्रतिवेदन के लिए जाँच प्राधिकारी को भेज सकता है। अनुशासन प्राधिकारी के लिए दूसरा विकल्प नियम 15(2) के तहत यह है कि यदि वह आरोप के किसी भी मद पर जाँच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है, तो वह ऐसे आरोप पर अपना निष्कर्ष दर्ज कर सकता है, यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे मामले में

जहाँ अनुशासन प्राधिकारी सहमत है, जांच अधिकारी के निष्कर्ष के आधार पर, वह यथास्थिति, दण्ड या दोषमुक्ति का अंतिम आदेश पारित कर सकेगा।

14. अनुशासनिक प्राधिकारी को नियमों के तहत इस निष्कर्ष पर नए सिरे से जांच का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है कि जांच प्रतिवेदन अधूरी या गलत है। ऐसा निष्कर्ष अनुशासनिक प्राधिकारी को केवल मामले को आगे की जांच के लिए जांच अधिकारी को भेजने का अधिकार देगा, न कि एक नया जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करके नए सिरे से जांच का आदेश देने का। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच के मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्तियां वे हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्यपाल द्वारा तैयार किए गए 1966 के वैधानिक नियमों के तहत प्रदत्त हैं। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच का संचालन विधि के प्रावधान द्वारा विनियमित होता है और अनुशासनिक प्राधिकारी सहित विभिन्न प्राधिकरणों को विधि के प्रावधानों के भीतर और उससे परे कार्य करने का अधिकार है। अनुशासनिक प्राधिकारी को अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए कोई पूर्ण या असीमित अधिकार और क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करते समय, उसकी शक्ति और प्राधिकार का दायरा और सीमा, वैधानिक नियमों के अंतर्गत निहित प्रावधानों द्वारा परिचालित होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. नियम 15 के अंतर्गत वैधानिक योजना की जाँच, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुँचती है कि एक बार जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने के बाद, अनुशासन प्राधिकारी मामले को जाँच प्राधिकारी को वापस भेज सकता है, वह भी उन कारणों से जिन्हें जाँच प्राधिकारी को लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक है। इसका अर्थ यह होगा कि मामला उसी जाँच अधिकारी को वापस भेजा जाएगा। वर्तमान मामले में, एक नया जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालाँकि, अनुशासनिक प्राधिकारी उपयुक्त परिस्थितियों में नए जाँच अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, जैसे कि पूर्व जाँच अधिकारी किसी कारणवश उपलब्ध न हो या स्वयं को अयोग्य घोषित कर चुका हो, आदि। हालाँकि, उत्तरवादीगण द्वारा ऐसी कोई परिस्थिति अभिलेख में नहीं लाई गई है। इससे इस निष्कर्ष को बल मिलता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी उन्हीं आरोपों पर नए सिरे से जाँच करना चाहता था, क्योंकि वह अपने समक्ष प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं था।

16.मामले को आगे की जाँच के लिए भेजने की शक्ति का प्रयोग भी स्वछंद नहीं है, लेकिन अनुशासनिक प्राधिकारी पर मामले को आगे की जाँच के लिए भेजने के ऐसे निर्णय के लिए लिखित में कारण दर्ज करने के लिए वैधानिक दायित्व के रूप में एक महत्वपूर्ण शर्त है। तर्कों के लिए यह मानते हुए भी, जैसा कि उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है, कि मूलतः प्रेषण मामले को आगे की जाँच के लिए भेजना था, लिखित में कारण दर्ज करने की अनिवार्य आवश्यकता का भी उल्लंघन किया गया है। दिनांकित आदेश (अनुलग्नक आर-1) जो दर्ज करता है वह ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचने का कोई कारण बताए बिना मात्र एक निष्कर्ष है। कारण दर्ज करने की आवश्यकता को प्रावधान के तहत एक एकपक्षीय और मनमौजी कार्रवाई के खिलाफ जाँच के रूप में शामिल किया गया है, यदि जाँच प्रतिवेदन अनुशासनिक प्राधिकारी को पसंद न आए। ऊपर यह दर्ज किया गया है कि जाँच के पिछले दौर में, जाँच अधिकारी ने अभियोजन और बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ की थी और अपनी 55 पृष्ठों की जाँच प्रतिवेदन में अभिलेख पर मौजूद मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्यों की अत्यंत सूक्ष्म जाँच की थी। अनुशासनिक प्राधिकारी ने केवल "त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण" कहकर इसे नज़रअंदाज़ करने का प्रयास किया। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, अनुशासनिक प्राधिकारी ने एक नए है। जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति करके स्पष्ट रूप से अपनी शक्ति का अतिक्रमण किया और निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की नए सिरे से जांच करें, पहला क्योंकि नियमों के तहत ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता और दूसरा यह मानते हुए कि इसका उद्देश्य केवल आगे की जांच का आदेश देना था, सामान्य तौर पर इसे उसी जांच अधिकारी को भेजा जाना चाहिए और वह भी लिखित में कारण दर्ज करके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17.यद्यपि उत्तरवादीगण को अनेक अवसर प्रदान किए गए तथा बाद में तैयार की गई जांच प्रतिवेदन को अभिलेख में संलग्न करने का निर्देश भी दिया गया, फिर भी उत्तरवादीगण ने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की।

18.1966 के नियमों का नियम 14 (22) उत्तरवर्ती जांच अधिकारी को अपने पूर्ववर्ती द्वारा दर्ज किए गए या आंशिक रूप से स्वयं दर्ज किए गए साक्ष्य पर कार्रवाई करने का अधिकार देता है। यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी यह राय बनाता है कि किसी गवाह, जिसका साक्ष्य पहले ही दर्ज किया जा चुका है, की जांच के बाद न्याय के हित में यह आवश्यक है, तो वह ऐसे किसी भी गवाह को वापस बुला सकता है, उसकी जांच कर सकता है, प्रतिपरीक्षण कर सकता है और

दोबारा जांच कर सकता है। किए गए कथनों और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह पाया जाता है कि नए जांच अधिकारी ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनकी पहले जांच की गई थी। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री अभिलेख पर नहीं लाई गई है कि नए जांच अधिकारी को केवल आगे की जांच के लिए नियुक्त किया गया था और उन्होंने एक उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी के रूप में यह राय बनाई कि किसी भी गवाह, जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलेख किया गया था, की आगे की जांच न्याय के हित में आवश्यक थी, इससे याचिकाकर्ता के मामले को भी समर्थन मिलता है कि यह आगे की जांच का मामला नहीं है, बल्कि नवनियुक्त जांच अधिकारी द्वारा नई जांच का मामला है।

19. उपर्युक्त चर्चा और विश्लेषण के मद्देनजर, इस न्यायालय के लिए याचिकाकर्ता के अन्य निवेदनों पर विचार करना आवश्यक नहीं है। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नया जाँच अधिकारी नियुक्त करने और नए सिरे से जाँच करने की कार्रवाई, 1966 के नियम 15 के तहत प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण करने के कारण अवैध घोषित की जाती है। परिणामस्वरूप, 17 फ़रवरी, 1989 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-7), जो दूसरी जाँच प्रतिवेदन पर आधारित है, एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यद्यपि, सामान्यतः उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, यह न्यायालय मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी को वापस भेज दे ताकि वह नियम 1966 के नियम 15 में निहित प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से निर्णय ले सके, यह ध्यान में रखते हुए कि विभागीय जांच वर्ष 1981 में शुरू की गई थी, पहली जांच प्रतिवेदन 29.4.1982 को प्रस्तुत की गई थी और याचिकाकर्ता भी 30 नवंबर, 2000 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था, याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति के लगभग 10 साल बाद फिर से जांच के एक और दौर के अधीन करना कठोर और अन्यायपूर्ण होगा।

20. तदनुसार, याचिका को सभी पारिणामिक लाभों के साथ स्वीकार किया जाता है।

21. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Shriya Jaiswal

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur